तथ्यों को जानें-I

प्रिय निवेशक,

पिछले कुछ सालों से, निवेशकों के हितों के लिए नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने ऑन-लाइन ट्रेडिंग, सैटलमेन्ट गारंटी, इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग, डेरीवेटिव्स इत्यादि की शुरूआत की है। अपने अनुभवों के आधार पर निवेशक के हित की रक्षा में मदद करने हेतु, हम निवेशकों को कुछ बातें बताना चाहेंगे, जिन बातों का निवेशकों को अनुकरण करना चाहिए। ये सलाहें आपके शिकायतों को कम करने और एक्सचेंज में किए जाने वाले सौदों के लिए एनएसई द्वारा दी जाने वाली निवेशक रक्षा निधि (इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड) के तहत सुरक्षा उपलब्ध कराने में काफी सहायक सिद्ध होंगे।

ट्रेडिंग के लिए सुरक्षा के निर्देश :

- सिर्फ सेबी पंजीकृत ब्रोकरों द्वारा ही शेयरों की खरीद या बिक्री करें।
- इस बात की जाँच कर लें कि मध्यस्थ (ब्रोकर/उप ब्रोकर)के पास पंजीकरण का वैध प्रमाणपत्र है।
- ब्रोकर/उप ब्रोकर के साथ अनुबंध कर लें जिसमें नियम और शर्तें साफ साफ लिखी हुई हों।
- इस बात का खास ख्याल रखें कि ''अपने ग्राहक को जानिए''
(नो यूअर क्लाइंट) फॉर्म में अपने सभी विवरण जरूर भरें
- इस बात का खास ख्याल रखें कि आप ''रिस्क डिस्क्लोज़र डॉक्यूमेंट'' को अच्छी तरह पढ़ें तथा समझें और तब उसे स्वीकार करें।
- हर रोज होने वाले ट्रेड के लिए , सिर्फ आपके ब्रोकर द्वारा जारी किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट नोट पर जरूर जोर दें।
- ट्रैन्सैक्शन होने के 24 घंटे के अंदर ही आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाना चाहिए।
- यह बात निश्चित कर लें कि कॉन्ट्रैक्ट नोट पर आपके ब्रोकर का नाम, ट्रेड का समय और नंबर, सौदे का मूल्य, ब्रोकरेज, सर्विस टैक्स, प्रतिभूति सौदे का टैक्स आदि जैसे विवरण जरूर लिखे हों और उस पर ब्रोकर द्वारा हस्ताक्षर के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हों।
- सौदे की प्रमाणिकता को जाँचने के लिए NSE की वेबसाइट (www.nseindia.com) पर लॉगऑन करें और NSE द्वारा दी जाने वाली ट्रेड वेरिफिकेशन (व्यापार सत्यापन) की सुविधा के लिए यू आर एल www.nseindia.com/content/equities/eq_trdverify.htm पर जाएँ। वहाँ पर आवश्यक सभी जानकारी भरिए। यह सुविधा आपकी सारे प्रामाणिक सौदों की पुष्टि करेगी और ट्रेड होने के 5 दिन बाद तक यह जानकारी उपलब्ध रहेगी।
- कॉन्ट्रैक्ट नोट /सेबी रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर ब्रोकर का नाम जिस तरह लिखा है, सिर्फ उसी तरह से अपने ब्रोकर के नाम अकांउट पेयी चेक (प्रदाता चेक)/डिमांड ड्राफ्ट जारी करें ।
- वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने शेयर ब्रोकर को देते समय, यह बात जरूर जाँच लें कि डिलीवरी के निर्देश आपके ब्रोकर के नाम वाले अकांउट में ही दिए गए हैं।
- अपने ब्रोकर से फ़ंड्स और सिक्युरिटीस के अकांउट की समय-समय पर स्टेटमेन्ट लेने पर जोर दें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए आप स्वयं जाँच कर सकते हैं और अपने अकांउट को अपडेट कर सकते हैं और कोई भी विरोधी बात नज़र आने पर उसे तुरंत अपने ब्रोकर के ध्यान में ला सकते हैं।

''प्रतिभूति बाज़ार में संभावित अवांछनीय ट्रेडिंग गतिविधियों के बारे में निवेशकों द्वारा दी जाने वाली जानकारी की महत्ता को समझते हुए, एक्सचेंज ने टोल फ्री टेलीफोन की सुविधा प्रदान की है जहाँ पर निवेशक हिन्दी या इंग्लिश में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्सचेंज निवेशकों की संपूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करेगा ।''

टोल फ्री टेलीफोन नंबर - 1800 22 0051

ये दिशानिर्देश आपके हित के लिए हैं, इन पर अमल करें

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
''एक्सचेंज प्लाज़ा'', बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400 051.
टेलीफोन : 022-26598100-8114, फैक्स : 022-26598120, ई-मेल : cc_nse@nse.co.in
हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें : www.nseindia.com

एनएसई द्वारा जनहित में जारी.

CORNERSTONE/GFI